

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी 2016—फाल्गुन 8, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्र. एफ 3-10-2008-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा श्री रमेश प्रसाद ठाकुर (सेवानिवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, सागर संभाग सागर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.